

पत्र संख्या : ८८/४७०१ यो०ज०सं०-०४/२०१२ ।४२

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० कौ० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, हजारीबाग / मेदिनीनगर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता – सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: ११.११.२०१२

विषय :-

माँग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-८००-अन्य व्यय, उप शीर्ष-४६-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४३ अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण विपत्र कोड-४९P470180800460543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित कि जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	४९-जल संसाधन विभाग/ ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ ८०-सामान्य/	८००-अन्य व्यय/ सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	४६- ०५-निर्माण / ४३ अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण ४९P470180800460543	66.50

आवंटित राशि – ₹ छियासठ लाख पचास हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. ६५०.०० लाख (छ: करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट १ पर वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।


(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता


(जयप्रकाश भट्टाचार्य)

उप सचिव (अभियो)


(सुदोध कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव (अभियो)


(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
 9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
 10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
 11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
 12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
 13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवृद्धनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrd.jharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक-यथोक्त्।

प्राचीन रात्रिपात्री

शापाक १४२

रोटी, दिनांक : १०/१०/२०११

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) आरखण्ड पो. हिन्दी/कोषागार प्रतिलिपिकारी, लोरपड़ा/राँची/हजारीबाग/मेदिनीनगर/बोकारो सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार प्रतिलिपिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलालक-यथोक्ता ।

एस० क० शतपथी

शापाक ४२

संघ, विनायक १११२०१२


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमुखलीय आयत/संबंधित उपचारक/संचित योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आए सचिव, उल्ल संसाधन विभाग/आंतरिक विभीत संसाधन उल्ल संसाधन विभाग/मुख्य अधिकारी (मो.) राजी/अधिकारी प्रमुख - ॥ एवं ॥ उल्ल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) उल्ल संसाधन विभाग को पौय प्रति/प्रशासन को इस अधिकारिका प्रतियों में/सारियकी पदाधिकारी उल्ल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, उल्ल संसाधन विभाग, आंतरिक उपचारक/उल्ल संसाधन विभाग को उपचारक कार्यालय के प्रति।

अनलाइन क्या है ?

A black and white photograph showing a close-up of a person's hand holding a small, dark, irregular object, possibly a piece of debris or a small plant, against a bright, textured background. The object has a somewhat elongated, irregular shape with a slightly pointed end on the left. The background is bright and has a fine, repeating texture, possibly a wall or a piece of fabric. The lighting is dramatic, with the object being the main subject and the background being very bright.

६४

A decorative floral ornament at the top of the page, featuring a stylized tree with intricate branches and leaves.



१० (एस० क० शतपथी) प्रधान सचिव

मॉग संख्या-49-जल समाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूर्जीगत परिव्यय,
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,
लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

उप शीर्ष - 46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्खण्डन ।
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43-अनुरक्षण , मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, 49P470180800460543

विवरित वर्ष 2012-13 में बजट उपर्युक्त 650.00 लाख (छ: करोड़ पचास लाख) रुपये मात्र।

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			कार्य का विवरण	मार्च 2012 तक का व्यय	पूर्व का वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	विवरीय वर्ष 2012-13 में आवंटन	
				4	5	6						
1	जलपथ प्र०, मेदिनीनगर	मेदिनीनगर	प्रमंडल अंतर्गत 17 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान	0.00	0.00	25.00						
2	जलपथ प्र०, गढवा	मेदिनीनगर	प्रमंडल अंतर्गत 13 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान	0.00	0.00	14.00						
3	रुपांकण प्र०, स०-१, मेदिनीनगर	प्रमंडल अंतर्गत 11 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान		0.00	0.00	1.00						
4	जलपथ प्र०, हजारीबाग	हजारीबाग	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान	0.00	0.00	9.00						
5	जलपथ प्र०, बरही	हजारीबाग	प्रमंडल अंतर्गत 3 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के परिश्रमिक का भुगतान	0.00	0.00	0.50						
6	तेनुधाट बाँध प्र०, तेनुधाट	हजारीबाग	प्रमण्डलांतर्गत वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में तेनुधाट बैम / स्पीलवे, गंरु हाउस, अंचलीय कार्य की सुरक्षा हेतु।	0.00	0.00	14.00						
				कुल राशि	0.00	66.50	66.50					
आवंटित राशि - ₹ 66.50 लाख पचास हजार मात्र।												

11/12-13 तिथि 31.07.2012
498.46

जयप्रकाश भट्टाचार्य
उप सचिव (अभि.)

सुबोध कुमार सिन्हा
संयुक्त सचिव (अभि.)

बी. सी. निगम
विशेष सचिव

एस० क० शतपथी
प्रधान सचिव

11/12-13
राशि लाख ₹ में